निर्णय बईजलास डॉ0 भारती दीक्षित आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 15/अपील/21 तारिख दायराः 09.04.2021

भंवरसिंह आ0 रतनसिंह जाति राजपूत नि0 उचित मूल्य की दुकान सेमली हाट, मनोहरथाना

बनाम

राज.सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

अपील बनाराजी आदेश दिनांक 09.07.2020 जिला रसद अधिकारी, झालावाड

उपस्थितः– श्री संजय कुमार सक्सेना, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

–: निर्णय :– दिनांकः 05.04.2022

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के आदेश क्रमांकः अभियोजन/2020/6143–49 दिनांक 09.07.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी,द्वारा अपने आदेश 2763 दिनांक 26.09.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में करने पर 06/अपील/18 दर्ज कर प्रकरण को दिनांक 07.02.2018 को पुनः जाचं व निर्णय हेतु जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को रिमाण्ड किया गया । प्रकरण रिमाण्ड किया जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण में बाद जांच व सुनवाई निर्णय दिनांक 15.07.2018 से अपने पूर्व निर्णय दिनांक 2763 दिनांक 26.09.17 को यथावत रखा गया। तदुपरान्त अपीलान्ट द्वारा पुनः न्यायालय हाजा में जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 15.07.18 की अपील प्रस्तुत करने पर 20/अपील/18 दर्ज कर निर्णय दिनांक 01.05.2018 से अपील खारिज की गई। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2018 की अपील अतिरिक्त खाद्य आयुक्त जयपुर में की जाने पर अतिरिक्त खाद्य आयुक्त जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 29.07.2019 को प्रकरण जिला रसद अधिकारी को रिमाण्ड किया गया। जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 09.07.2020 से प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। जिला रसद अधिकारी के उक्त आदेश की अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये निर्देश की पालना में अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अपील मीमों में निवेदन किया गया हैं कि जिला रसद अधिकारी का निर्णय विधि एवं पत्रावली संग्रहसार के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विस्तृत जवाब साक्ष्य को कन्सीडर किये बगेर बिना किसी ठोस कारण के अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट पर कालाबाजारी/भ्रष्टाचार का आरोप नही है। न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त,खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग,जयपुर द्वारा दिनांक 16.08.2018 को पारित निर्णय जिसके द्वारा रामचन्द्र उचित मूल्य दुकानदार के प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था उक्त प्रकरण में रामचन्द्र का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया जबकि अपीलार्थी का मामला भी इसी प्रकार का था। अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी,झालावाड द्वारा दिनांक 09.07.2020 जिसके द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है अपास्त कर प्राधिकार पत्र बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेंमो की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि जिला रसद अधिकारी का आदेश कानून व न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध होने से निरस्त यौग्य है, जिला रसद अधिकारी द्वारा उपभोक्ताओ की शिकायत के आधार पर प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था । अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओ को पोस मशीन के माध्यम से सामग्री का वितरण करता था, ग्रामीण क्षेत्र में इन्टरनेट मे नेट वर्क की समस्या लगातार रहती है इसी कारण से जिस स्थान पर नेटवर्क मिलता था उक्त स्थान पर उपभोक्ताओं को सामग्री का वितरण पोस मशीन के माध्यत से किया जाता था। अपीलान्ट के साथ ही एक अन्य उचित मूल्य दुकानदार रामचन्द्र का प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त,खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग,जयपुर द्वारा दिनांक 16.08.2018 को निर्णय पारित कर रामचन्द्र उचित मूल्य दुकानदार के प्रकरण को जिला रसद अधिकारी,झालावाड को रिमाण्ड किया गया था उक्त प्रकरण में रामचन्द्र का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी द्वारा बहाल कर दिया गया जबकि अपीलार्थी का मामला भी इसी प्रकार का था किन्तु अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी,द्वारा निरस्त कर दिया गया

जो गलत है । अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी झालावाड द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि तत्समय उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत की जांच करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो उचित है अपीलान्ट द्वारा उस पर आरोपित रिकवरी जमा नही कराने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है , अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अघोपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी झालावाड द्वारा शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक मनोहरथाना से कराई गई जांच रिपोर्ट में ग्रामवासी चित्तोड़ा, सेमलीहाट, दुबलिया, जालमपुरा व खातीकापुरा के उपभोक्ताओं के सामूहिक बयान लिये गये व उन बयानों के आधार पर व उपभोक्ताओं के राशन कार्ड व पौस मशीन में असमानता दर्शित होने पर डीलर की अनियमितता के परिणाम स्वरूप अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह भी उभरता है कि दिनांक 13.09.2017 को जिला रसद अधिकारी व भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा संयुक्त जांच कर अपीलान्ट भंवरसिंह बाबत निम्नानुसार टिप्पणी अंकित की गई–बिन्दु संख्या 8 '' कुल 57 उपभोक्ताओं में से 39 उपभोक्ताओं का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नही होने से वह गेंहू लेने के पात्र नही है। केवल 18 उपभोक्ताओं का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में पाया गया, जिनमें 12 उपभोक्ताओं ने माह अगस्त 2017 तक का गेंहू प्राप्त किया है,शेष 6 उपभोक्ता का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में तो है, लेकिन पॉस मशीन से गेंहू का ट्रांजेक्शन नही किया गया है।'' व इसी जांच रिपोर्ट में रामचन्द्र उचित मूल्य दुकानदार बाबत निम्नानुसार टिप्पणी की गई –बिन्दु संख्या 04'' यह कि 36 असन्तुष्ट उपभोक्ताओं की विभाग द्वारा जांच करने पर पाया कि 20 उपभोक्ताओं का खाद्य सुरक्षा सूची में नाम नही है,शेष 16 में से 13 उपभोक्ताओं का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में है,इन्हे पॉस मशीन द्वारा राशन सामग्री दी जा रही है, केवल 3 उपभोक्ता जिनका नाम वर्तमान में खाद्य सुरक्षा सूची में है,उनका पॉस मशीन द्वारा ट्रांजेक्शन नही किया गया है''। दिनांक 13.09.2017 की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया जाकर जिला रसद अधिकारी,झालावाड द्वारा अपने आदेश: अभियोजन/2018/3877–3884 दिनांक: 27.11.2018 से रामचन्द उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना जाहिर है किन्तु जांच रिपोर्ट दिनांक: 13.09.2017 के बिन्दु संख्या 8 (भंवरसिंह बाबत)में 6 उपभोक्ताओं का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में होने पर भी पॉस मशीन से गेंहू का ट्रांजेक्शन नही किया जाना दर्शित किया गया है इसी तरह उसी जांच रिपोर्ट बिन्दु संख्या 4 (रामचन्द्र बाबत)में 3 उपभोक्ताओं का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में होने पर भी पॉस मशीन से गेंहू का ट्रांजेक्शन नही किया जाना दर्शित किया गया है। इस प्रकार रामचन्द्र द्वारा भी अनियमितता तो की गई थी फिर उसका प्राधिकार पत्र बहाल कर भंवर सिंह का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाना संशय उत्पन्न करता है। इसी कम में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 16.09.19 को केरोसीन/गेंहू/चीनी की अंतर राशि जमा कराने बाबत नोटिस दिया गया किन्तु अपने निर्णय दिनांक 09.07.2020 में उक्त अंतर राशि बाबत कोई अंकन ही नही किया गया। जिला रसद अधिकारी,झालावाड द्वारा दिनांक: 09.07.2020 को पारित आदेश हमारी राय में उचित नही है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी,झालावाड द्वारा दिनाक 09.07.2020 को पारित निर्णय अपास्त किया जाता है व प्रकरण जिला रसद अधिकारी,झालावाड को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण को दिनांक 13.09.2017 को जिला रसद अधिकारी व भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा की गई संयुक्त जांच के दृष्टिगत रामचन्द्र व भंवरसिंह के प्रकरण का तुलनात्मक अध्ययन कर उपभोक्ताओं की परेशानी अटेचमेन्ट उचित मूल्य दुकानदार तक उपभोक्ताओं की पहुंच/दूरी व उचित मूल्य दुकानदार द्वारा की गई अनियमितता के फलस्वरूप प्राधिकार पत्र तक निरस्त किये जाने के दण्ड के औचित्य बाबत पूर्ण विवेचन के साथ निर्णय पारित करे व अपने निर्णय में अपीलान्ट को दिनांक 16.09.2019 को जारी नोटिस के कम में केरोसीन/गेंहू/चीनी की अतर राशि जमा कराने बाबत भी स्पष्ट अंकन कर अनिवार्य रूप से वसूली राशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 05.04.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
झालावाड़